

भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदीय औषधि गुणवत्ता उन्नयन एवं संवर्धन योजना (AOGUSY) के अन्तर्गत संचालित फार्मेकोविजिलेंस प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (JRF) के साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों की सूची एवं साक्षात्कार सूचना

विज्ञापन संख्या : जी-15379/23

साक्षात्कार तिथि : 15 दिसम्बर 2023

साक्षात्कार समय – अपराह्न:- 02:00 बजे से

साक्षात्कार का स्थान – कॉन्फ्रेंस रूम, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, साइंस हिल्स, धन्वन्तरि मार्ग, भोपाल (म.प्र.)।

Sr. No.	Name	Father Name
1.	Dr. Divya Dongre	Shri Suresh kumar Dongre
2.	Dr. Sworna Priya Patnaik	Shri N.K. Patnaik
3.	Dr. Prerna Sharma	Shri Akhilesh kumar Sharma

आवश्यक सूचना:-

1. प्रदर्शित आवेदकों की सूची प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्मित है एवं मूल दस्तावेजों से मिलान के पश्चात् ही अनिवार्य योग्यता इत्यादि शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित होगी।
2. साक्षात्कार हेतु विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता धारक आवेदकों को ही आमंत्रित किया गया है।
3. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए आवेदक किसी भी प्रकार से चयन का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।
4. उक्त प्रक्रिया की जानकारी केवल वेबसाइट www.klsgaci.edu.in के माध्यम से ही दी गई है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त अन्य जानकारी का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
5. विज्ञापन में ही वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुरूप आवेदक अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज मिलान हेतु एवं एक छायाप्रति (स्वप्रमाणित) लेकर आवें। प्रमुखतः जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, मान्य पहचान पत्र, अर्हकारी डिग्री/अंकसूचियाँ, अनुभव प्रमाण पत्र, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, वर्ग/जाति प्रमाण पत्र, की मूल प्रतियाँ साथ लेकर आवें।
6. प्रोजेक्ट अंतर्गत साक्षात्कार हेतु आवेदकों को किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता/साक्षात्कार भत्ता नहीं दिया जावेगा।
7. भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदीय औषधि गुणवत्ता उन्नयन एवं संवर्धन योजना (AOGUSY) के अन्तर्गत संचालित फार्मेकोविजिलेंस प्रोग्राम के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में सेवाएं संचालित होगी। चयनित अभ्यर्थी को नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व मुख्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर 07 दिवस की सूचना के पश्चात् सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।